

संख्या 3-216/सी.जी.एस/एल.के.ओ/2022/3615-25

भारत सरकार
कार्यालय अपर निदेशक
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
बी115-114, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ-226010

दिनांक: 17.09.2026

कार्यालय जापन

विषय: के.स.स्वा.यो लखनऊ के अंतर्गत निजी अस्पतालों/स्वास्थ्य संगठनों के सम्बद्धीकरण विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय जापन संख्या F.No.5-16/CGHS(HQ)/HEC/2024 (Part-I) दिनांक 03.10.2025 एवं कार्यालय जापन संख्या F.No.5-34/CGHS/HEC(HQ)/2025 दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित नियम एवं शर्तें, लागू पैकेज दरों के अनुसार, निम्नलिखित स्वास्थ्य संगठन (HCO) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समझौता जापन (MoA), CGHS लाभार्थियों हेतु अस्पताल नीति (Hospital Policy Document) तथा परफॉरमेंस बैंक गारंटी दिनांक 09.09.2026 को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः, निम्नवत Exclusive Eye Hospital को के.स.स्वा.यो लखनऊ के अंतर्गत दिनांक 14.09.2026 से अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए, CGHS द्वारा अनुमोदित एवं उपलब्ध सभी सुविधाओं को के.स.स्वा.यो द्वारा अधिसूचित दरों पर कवर करते हुए, सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाता है।

क्रम संख्या	स्वास्थ्य संगठन का नाम	प्रमाणन	टिप्पणी
I.	Sangam Super Speciality Eye Hospital, HIG-2/69 Siddharthpuram Vistar, (Infront of PF Vasundhara Enclave) Taramandal, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273017 Mob: 9935557777 Email: sangameyehospital004@gmail.com	NABH	Exclusive Eye Hospital

अपर निदेशक
के.स.स्वा.यो, लखनऊ

सेवा में
प्रतिनिधि

उक्त स्वास्थ्य संगठन

1. केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, सीजीएस, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त डी.डी.जी. (मुख्यालय), सीजीएस, नई दिल्ली।
4. सीजीएस-1: अनुभाग, नई दिल्ली।
5. हॉस्पिटल सेल, नई दिल्ली।
6. वैतन एवं सेवा कार्यालय, एलएचएमसी, नई दिल्ली।
7. सीजीएस औषधालय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सीजीएस पॉलीक्लिनिक, लखनऊ, सीजीएस औषधालय आगरा, बरेली गोरखपुर।
8. अखिल भारतीय सीजीएस कर्मचारी संघ, लखनऊ शाखा।
9. वरिष्ठ प्रौद्योगिकी निदेशक, एनआईसी एमओएफडब्ल्यू, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10. एनएचए/सी-डैक, दिल्ली।